

#### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 2019/आश्विन 24, 1941 No. 614] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2019/ASVINA 24, 1941

### खान मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15, अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 788(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (वर्ग - I और वर्ग - II के पद) भर्ती नियम, 1964 जहां तक उनका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष और उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी और पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी और पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता** वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5380 GI/2019 (1)

- **5. शिथिल करने की शक्ति** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

| पद का<br>नाम                                 | पद की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतन मैट्रिक्स में स्तर                                | <b>चयन</b><br>प <b>द है या</b><br>अचयन<br>पद | सीधे भर्ती किए<br>जाने वाले<br>व्यक्तियों के लिए<br>आयु – सीमा | सीघे भर्ती किए जाने<br>वाले व्यक्तियों के लिए<br>अपेक्षित शैक्षणिक और<br>अन्य अहर्ताएं |
|--|--|---|--|--|--|--|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  |
| 1. सहायक<br>पुस्तकालय<br>और सूचना<br>अधिकारी | 1 (2019)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय<br>सेवा, समूह 'ख',<br>अननुसचिवीय,<br>राजपत्रित | वेतन मैट्रिक्स में<br>स्तर – 7<br>(44900 - 142400 रु.) | चयन<br>पद                                    | लागू नहीं होता   | लागू नहीं होता   |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए<br>विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत<br>व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अविध, यदि<br>कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या<br>प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा<br>भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|--|----------------------------------|---|
| (8)  | (9)                              | (10)  |
| लागू नहीं होता   | लागू नहीं होता                   | प्रोन्नति   |

# प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

### प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 (रू. 35400 - 112400) में ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों तथा जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो या किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित पुस्तकालय की आधुनिक पद्धति के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों।

**टिप्पण**: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना  | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा<br>आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|--|
| (12)  | (13)   |
| समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | के संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक<br>नहीं है।                        |
| 1. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - अध्य   | क्ष;   |
| 2. अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो - सदस   | य;   |
| 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस   | य।   |

| (1)                                  | (2)   | (3)  | (4)   | (5)                  | (6)   | (7)   |
|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| 2.<br>पुस्तकालय<br>और सूचना<br>सहायक | 7 (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय<br>सेवा, समूह 'ख',<br>अननुसचिवीय,<br>अराजपत्रित | वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6<br>(35400 - 112400 रु.) | लागू<br>नहीं<br>होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापित की जाए। | आवश्यक:  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय स्चना विज्ञान में स्नातक डिग्री;  (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।  वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।  टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।  टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हत (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, |

|  |  |  | , ,                        |
|--|--|--|----------------------------|
|  |  |  | कर्मचारी चयन आयोग          |
|  |  |  | या सक्षम प्राधिकारी के     |
|  |  |  | विवेकानुसार अनुसूचित       |
|  |  |  | जातियों और अनुसूचित        |
|  |  |  | जनजातियों के अभ्यर्थियों   |
|  |  |  | की दशा में तब शिथिल        |
|  |  |  | की जा सकती हैं जब          |
|  |  |  | चयन के किसी प्रक्रम पर     |
|  |  |  | कर्मचारी चयन आयोग          |
|  |  |  | या सक्षम प्राधिकारी की     |
|  |  |  | यह राय है कि उनके लिए      |
|  |  |  | आरक्षित रिक्तियों को       |
|  |  |  | भरने के लिए अपेक्षित       |
|  |  |  | अनुभव रखने वाले उन         |
|  |  |  | समुदायों के अभ्यर्थियों के |
|  |  |  | पर्याप्त संख्या में उपलब्ध |
|  |  |  | करने की संभावना नहीं       |
|  |  |  | है।                        |
|  |  |  | •                          |

| (8)            | (9)     | (10)  |
|----------------|---------|---|
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती  |
|                |         | टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो और स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हो |
|                |         | प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी।  |

| (11)           |  |
|----------------|--|
| लागू नहीं होता |  |

| (12)   |             | (13)  |
|--|-------------|---|
| समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार क<br>निम्न प्रकार होगी:- | रने के लिए) | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं<br>है । |
| 1. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो   | - अध्यक्ष;  |   |
| 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो  | – सदस्य;    |   |
| 3. अवर सचिव, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो से संबंधित                              | - सदस्य।    |   |

[फा. सं. 22/6/2019-M.III] निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF MINES

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2019

- G.S.R. 788(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Bureau of Mines (class I and II posts) Recruitment Rules 1964 in so far as they relate to the post of Librarian and Deputy Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer and Library and Information Assistant in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Assistant Library and Information Officer and Library and Information Assistant (Group 'B' Posts), Recruitment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and levels in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications— No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Exservice men and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

| Name of post                                       | Number of post                                      | Classification  | Level in the<br>Pay Matrix                            | Whether selection<br>post or non-<br>selection post |
|--|---|---|---|---|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
| 1. Assistant Library<br>and Information<br>Officer | 1(2019) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service<br>Non Ministerial Gazetted<br>Group, B | Level 7 in the<br>pay matrix<br>(Rs.44900-<br>142400) | Selection post                                      |

| Age limit for direct recruits | Educational<br>and other<br>qualifications<br>required for<br>direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| (6)                           | (7)   | (8)   | (9)                         | (10)  |
| Not applicable                | Not applicable  | Not applicable  | Not applicable              | Promotion   |

| In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made   | If a Departmental Promotion<br>Committee exists, what is its<br>composition   | Circumstances in<br>which Union Public<br>Service Commission is<br>to be consulted in<br>making recruitment |
|--|---|---|
| (11)   | (12)  | (13)  |
| Promotion:  Library and Information Assistant in Level-6 (Rs. 35400-112400) in pay matrix with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and successfully completed four weeks of in-service training in the field of modern method of library conducted by the Indian Bureau of Mines or any recognized Institute.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  1. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines - Chairman;  2. Superintending Mineral Economist, Indian Bureau of Mines - Member;  3. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary  |

| (1)                   | (2)                   | (3)                     | (4)                  | (5)            |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 2. Library and        | 7(2019)               | General Central Service | Level – 6 in the pay | Not applicable |
| Information Assistant | *Subject to variation | Tion ministerial rion   | matrix (Rs.35400-    |                |
|                       | dependent on workload | Gazetted Group, B       | 112400).             |                |

| (6)                    | (7)   | (8)            | (9)       |
|------------------------|---|----------------|-----------|
| Not exceeding 30 years | Essential:  | Not applicable | Two years |
| `                      | <ul><li>(i) Bachelors Degree in Library Science or Library Information Science of a recognized University or Institute.</li><li>(ii) Two years professional experience in a Library under Central/State Government or Autonomous or</li></ul> |                |           |

| Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | Statutory organization or PSU or University or recognized research or Educational Institution.  Desirable: Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |  |  |
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

| (10)   | (11)           | (12)   | (13)  |
|--|----------------|--|---|
| Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central  Government holding analogous posts on regular basis and possessing the | Not applicable | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—  1. Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines  -Chairman;  2. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines  - Member;  3. Under Secretary, Ministry of Mines dealing Indian Bureau of Mines  - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |
| basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).   |                |  |   |

[F. No. 22/6/2019-M.III]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.